

राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण)

विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

विशेष पिछड़े वर्गों की प्रोन्नति और उत्थान के लिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

यतः, नागरिकों के पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रोन्नति के लिए राज्य में की शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति के लिए आरक्षण की नीति राजस्थान राज्य में बहुत लम्बे समय से क्रियान्वित की जा रही है;

और यतः, कई वर्षों से सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित राजस्थान की जनसंख्या के एक बहुत बड़े प्रतिशत ने आरक्षण नीति का लाभ लेना प्रारम्भ कर दिया है और वे अपनी दशा में सुधार तथा उच्चतर जीवन-स्तर प्राप्त करने में समर्थ हो गये हैं;

और यतः, राज्य सरकार की राय में, कतिपय पिछड़े वर्गों अर्थात् बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/गाडोलिया, गूजर/गुर्जर, राईका/रैबारी/देबासी, गडरिया/गाडरी/गायरी के लिए उनके शैक्षिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक पिछड़े होने के कारण, विशेष उपाय करने की आवश्यकता है;

और यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का खण्ड (4) राज्य को, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं भी वर्गों के लिए, विशेष उपबंध बनाने हेतु समर्थ बनाता है;

और यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का खण्ड (4) राज्य को, ऐसे किन्हीं भी पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध बनाने के लिए समर्थ बनाता है;

और यतः, राज्य सरकार की राय में विशेष पिछड़ा वर्ग, जो राज्य की कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग है, का उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्य के अधीन सेवाओं में राजस्थान राज्य में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है;

और यतः, राज्य सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् और राज्य में विद्यमान असाधारण परिस्थिति को देखते हुए, यह नीतिगत निर्णय लिया है कि राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश और राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को जारी रखा जाये और अत्यधिक पिछड़े वर्गों यथा बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/गाडोलिया, गूजर/गुर्जर, राईका/रैबारी/देबासी, गडरिया/गाडरी/गायरी को विशेष पिछड़े वर्ग के रूप में, आरक्षण के विद्यमान उपबंधों के परे, राजस्थान राज्य की पूर्वोक्त जनता की प्रोन्नति के लिए पृथक्: पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए;

अतः अब, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "क्रीमीलेयर" से विशेष पिछड़ा वर्गों के भीतर व्यक्तियों का ऐसा वर्ग अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचित करे;

(ख) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ग) "राज्य के अधीन सेवाओं" से राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवाएं और पद अभिप्रेत हैं और इसमें सम्मिलित हैं-

- (i) किसी भी स्थानीय प्राधिकारी में की सेवाएं और पद;
- (ii) राज्य सरकार के पूर्ण या सारवान् स्वामित्व या नियंत्रण में के अधीन किसी भी निगम या कम्पनी में की सेवाएं और पद;
- (iii) राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम के द्वारा या अधीन गठित और राज्य द्वारा पूर्णतः या सारवान् रूप से वित्त-पोषित किसी भी अन्य प्राधिकारी या निकाय में की सेवाएं और पद, और
- (iv) ऐसी सेवाएं और पद जिनके संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को सरकारी आदेश से आरक्षण लागू था और जो उप-खण्ड (i) से (iii) के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(घ) "विशेष पिछड़ा वर्ग" से निम्नलिखित जातियां/वर्ग अभिप्रेत हैं, अर्थात्:- 1. बंजारा/बालदिया/लबाना 2. गाडिया लोहार/गाडोलिया 3. गूजर/गुर्जर 4. राईका/रैबारी/देबासी 5. गडरिया/गाडरी/गायरी।

3. राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण.- (1) विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में, जो विहित किये जायें, प्रवेश के लिए वार्षिक अनुज्ञात संख्या के संबंध में आरक्षण पांच प्रतिशत होगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, क्रीमीलेयर से संबंधित व्यक्ति, राज्य की किसी भी शैक्षिक संस्था में सीटों के आरक्षित कोटे के विरुद्ध विचार में लिये जाने के पात्र नहीं होंगे।

4. राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण.- (1) विशेष पिछड़े वर्गों के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण पांच प्रतिशत होगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, क्रीमीलेयर से संबंधित व्यक्ति, राज्य के अधीन नियुक्तियों और पदों में आरक्षित कोटे के विरुद्ध विचार में लिये जाने के पात्र नहीं होंगे।

5. कतिपय मामलों में कोई आरक्षण नहीं होना.- धारा 4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित पदों के संबंध में कोई आरक्षण नहीं होगा, अर्थात्:-

(क) स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद; और

(ख) वह पद, जो किसी भी संवर्ग या ग्रेड में एक (एकल) है।

6. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए रखे जायेंगे, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि, ऐसे सत्र, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो उक्त नियम तत्पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण तदधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

7. कठिनाइयों का निराकरण.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, ऐसी कोई भी बात कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई का निराकरण करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

8. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए किसी प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

9. निरसन और व्यावृत्ति.- (1) राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम सं. 12) के उपबंध, जहां तक वे विशेष पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित हैं, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से निरसित हो जायेंगे।

(2) राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार द्वारा, विशेष पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में सीटों के और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के संबंध में बनाये गये या, यथास्थिति, जारी किये गये समस्त नियम, आदेश, परिपत्र आदि, जहां तक वे ऐसे मामलों से संबंधित हैं जिनके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है और जो इससे असंगत नहीं हैं, इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार बनाये गये या, यथास्थिति, जारी किये गये समझे जायेंगे मानो यह अधिनियम उस तारीख को, जिस पर ऐसे नियम, आदेश, परिपत्र आदि बनाये गये या, यथास्थिति, जारी किये गये थे, प्रवृत्त रहा हो, और तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम द्वारा अतिष्ठित न कर दिये जायें।

(3) इस अधिनियम की कोई भी बात, राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में किये गये किन्हीं भी आदेशों को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष 1955 में काका कालेलकर आयोग ने गुर्जर (गूजर) समुदाय को ग्वालों और चरवाहों के रूप में वर्णित किया था जबकि वर्ष 1965 में लोकुर आयोग ने, यह सम्प्रेक्षण करते हुए कि इनसे मात्र "अन्य पिछड़े वर्गों" की तरह व्यवहार करना पर्याप्त नहीं होगा, गुर्जर (गूजर) और बंजारा समुदायों के लिए विशेष सहायता की सिफारिश की है क्योंकि उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों को दी गयी सहायता से अधिक सहायता की आवश्यकता है।

विगत में 1981 में, राज्य सरकार ने बंजारों और गाडिया लोहारों के अत्यधिक पिछड़ेपन को देखते हुए इन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने की सिफारिश केन्द्र सरकार से की थी। इसी प्रकार, वर्ष 2007 में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने गुर्जर (गूजर) समुदाय के अत्यधिक सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को देखते हुए, इनके लिए विशेष व्यवस्था/उपायों की सिफारिश की थी। राईका (रैबारी/देबासी) भी अपनी खानाबदोश जीवन शैली के कारण सामाजिक और शैक्षिक, दोनों दृष्टिकोण से अत्यधिक पिछड़े हुए हैं।

कैप्टन गुरविन्दर सिंह इत्यादि बनाम राजस्थान राज्य (2011(1) आई.एल.आर. (राज.) 693) में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये निदेशों का पालन करते हुए राज्य सरकार ने, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पुनर्गठित किया और आरक्षण का मुद्दा उक्त आयोग को निर्देशित किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 22 नवम्बर, 2012 को प्रस्तुत की। आयोग उसके समक्ष रखे गये अनुमान्य आंकड़ों, उसे किये गये अभ्यावेदनों, इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ (ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 477), एम. नागराज बनाम भारत संघ [(2006) 8 एस.सी.सी. 212], अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ [(2008) 6 एस.सी.सी. 1], सूरजभान मीणा बनाम राजस्थान राज्य [(2011) 1 एस.सी.सी. 467] इत्यादि सहित माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों, काका कालेलकर आयोग, लोकुर समिति, मण्डल आयोग इत्यादि सहित, पिछड़े वर्गों के अध्ययन के लिए गठित आयोगों

और समितियों की विभिन्न रिपोर्टों और अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि गाडिया लोहार, रैबारी/ देबासी, बंजारा, गुर्जर और गडरिया जातियां/वर्ग, घुमक्कड़/चरवाहा (खानाबदोश) समुदाय से होने के कारण और दूर-दराज के इलाकों जैसेकि वन, पर्वतों की तलहटियों में चारे की तलाश में, पशुओं के साथ निवास करने से, समाज की मुख्य धारा से अलग हो गये हैं। यद्यपि सरकार कई कल्याण स्कीमें जैसेकि शिक्षा का प्रसार, चिकित्सा सुविधा, पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना और कई अन्य प्रकार की स्कीमें चला रही है, तो भी चूंकि वे चारे की तलाश में पशुओं के साथ वन से वन, पहाड़ी इलाकों से चरागाह भूमि में घूमा करते थे, इसलिए उन्हें इन स्कीमों से लाभ नहीं हो सका। चूंकि वे मुख्य समाज से दूर वनों में और लम्बे समय तक पशुओं के साथ चरागाह भूमि पर रह रहे हैं, इसलिए वे सामाजिक उन्नयन से अप्रभावित रहते हैं। उनकी जीविका, प्रथा और परम्परा, अंधविश्वास, मूल्यों इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया है। इन्दिरा साहनी के मामले में पैरा 810 का हवाला देते हुए आयोग आगे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि विशेष मामला बनता है तो पचास प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है और इन जातियों/वर्गों अर्थात् गाडिया लोहार, रैबारी, बंजारा, गुर्जर और गडरिया, इन्दिरा साहनी के मामले में सुझाये गये सभी विधिक मानदंडों को पूरा करते हैं और ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में इन जातियों/वर्गों के पक्ष में विशेष मामला बनता है। तदनुसार, आयोग ने अपनी सिफारिशें इन शब्दों में अभिलिखित कीं: "अनुमान्य आंकड़ों का विश्लेषण करने और अन्य सूचकांकों पर विचार करने के पश्चात् आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इन पांच जातियों/वर्गों अर्थात् गाडिया लोहार, रैबारी, बंजारा, गुर्जर और गडरिया, के उन्नयन के लिए उन्हें विशेष पिछड़ा वर्गों की प्रास्थिति देने के लिए विशेष मामला बनता है।"

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की उपर्युक्त रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात्, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया था कि आयोग की रिपोर्ट अनुमान्य आंकड़ों और ठोस साक्ष्यों पर आधारित थी, जिससे न केवल यह उपदर्शित होता है कि उपर्युक्त पांच जातियां/वर्ग न केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से अत्यधिक पिछड़े वर्ग हैं और

जिनका लोक सेवाओं में प्रतिनिधित्व अन्य पिछड़े वर्गों की तुलना में अत्यधिक अपर्याप्त है, बल्कि यह भी कि वे इन्दिरा साहनी के मामले में सुझाये गये सभी विधिक मानदंडों को पूरा करते थे, जिससे इन्दिरा साहनी के मामले के पैरा 810 के अनुसार पचास प्रतिशत के सामान्य नियम को शिथिल करते हुए इन जातियों/वर्गों को पांच प्रतिशत आरक्षण देना राज्य के लिए अनिवार्य हो गया था।

तदनुसार, आयोग की रिपोर्ट के पश्चात् राज्य सरकार ने उपर्युक्त जातियों/वर्गों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण देने के आदेश जारी किये थे। तथापि, राज्य सरकार की यह राय है कि इस पांच प्रतिशत के आरक्षण को एक पृथक् विधान अधिनियमित करके कानूनी प्रास्थिति और मान्यता भी दी जानी चाहिए।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को शैक्षिक संस्थाएं और पाठ्यक्रम, जिनमें उक्त खण्ड में उपबंधित आरक्षण लागू होगा, विहित करने के लिए सशक्त करेगा और खण्ड 6, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

Bill No. 38 of 2015

**THE RAJASTHAN SPECIAL BACKWARD CLASSES
(RESERVATION OF SEATS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS IN THE STATE AND OF APPOINTMENTS
AND POSTS IN SERVICES UNDER THE STATE) BILL, 2015**
(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to provide for the reservation of seats in educational institutions in the State and of appointments and posts in the services under the State in favour of the Special Backward Classes for their advancement, upliftment and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS, the policy of reservation for the social, economic and educational advancement of the people belonging to Backward Classes of Citizens in admissions to educational institutions in the State and for reservation of appointments and posts in the services under the State has been under implementation in the State of Rajasthan for a long time;

AND WHEREAS, a large percentage of the population of Rajasthan suffering from social and educational backwardness for many years have started enjoying the fruits of the reservation policy and have been able to improve their lot and attain a higher standard of living;

AND WHEREAS, in the opinion of the State Government, certain backward classes viz., the Banjara/Baldiya/Labana, Gadiya Lohar/Gadoliya, Gujar/Gurjar, Raika/Rebari/Debasi, Gadariya/Gadri/Gayari need special treatment in view of their being extremely backward - educationally and socially;

AND WHEREAS, Clause (4) of Article 15 of the Constitution of India enables the State to make any Special

provisions for the advancement of any socially and educationally Backward Classes of citizens ;

AND WHEREAS, Clause (4) of Article 16 of the Constitution of India enables the State to make any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any Backward Classes of citizens which, in the opinion of the State is not adequately represented in the services under the State ;

AND WHEREAS, in the opinion of the State Government the Special Backward Classes, who constitute a large part of the total population of the State, are not adequately represented in the services under the State in proportion to their population in the State of Rajasthan ;

AND WHEREAS, the State Government has, after careful consideration and looking to the extraordinary situation in the State, taken a policy decision that the existing level of reservation in admissions to educational institutions in the State and in appointments and posts in the services under the State, for persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes should be continued and the extremely backward classes like the Banjara/Baldiya/Labana, Gadiya Lohar/Gadoliya, Gujar/Gurjar, Raika/ Rebari/Debasi, Gadariya/Gadri/Gayari should be provided five percent reservation separately as Special Backward Classes, beyond the existing provisions of reservation, for ensuring the advancement of the aforesaid people of the State of Rajasthan.

NOW, therefore, be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Special Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) "creamy layer" means such class of persons within the Special Backward Classes, as the State Government may notify, in the Official Gazette for the purposes of this Act ;
- (b) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act ;
- (c) "services under the State" means the public services and posts in connection with the affairs of the State and includes the services and posts in-
 - (i) any local authority;
 - (ii) any corporation or company owned or controlled, wholly or substantially, by the State Government;
 - (iii) any other authority or body constituted by or under an Act of the State Legislature and funded, wholly or substantially, by the State; and
 - (iv) respect of which reservation was applicable by Government orders on the date of commencement of this Act and which are not covered under sub-clauses (i) to (iii);
- (d) "Special Backward Classes" means the following castes/classes, namely:- 1. Banjara/Baldiya/Labana 2. Gadiya Lohar/Gadoliya 3. Gujar/Gurjar 4. Raika/Rebari/Debasi 5. Gadariya/Gadri/Gayari.

3. Reservation of seats in educational institutions in the State.- (1) The reservation in respect of the annual permitted strength for admission into such educational institutions and courses in the State, as may be prescribed, for Special Backward Classes shall be five percent.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), persons belonging to creamy layer shall not be eligible for consideration against the reserved quota of seats in any educational institution in the State.

4. Reservation of appointments and posts in the services under the State.- (1) The reservation of appointments and posts in the services under the State for the Special Backward Classes shall be five percent.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), persons belonging to creamy layer shall not be eligible for consideration against the reserved quota in the appointments and posts under the State.

5. No reservation in certain cases.- Notwithstanding anything contained in section 4, there shall be no reservation in respect of the following posts, namely :-

- (a) the posts to be filled by transfer or deputation; and
- (b) the post which is single (isolated) in any cadre or grade.

6. Power to make rules.- (1) The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the sessions in which they are so laid or of the sessions immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

7. Removal of difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government

may, by an order, published in the Official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is so made, before the House of the State Legislature.

8. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any authority or person for anything done or purported to have been done in good faith in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

9. Repeal and savings.- (1) The provisions of the Rajasthan Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Special Backward Classes and Economically Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2008 (Act No. 12 of 2009), in so far as they relate to the reservation of Special Backward Classes, shall, from the date of commencement of this Act, stand repealed.

(2) Without prejudice to the provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955), all rules, orders, circulars etc. made or, as the case may be, issued before the commencement of this Act by the State Government in relation to reservation of seats in educational institutions and of appointments and posts in the services under the State for the Special Backward Classes shall, in so far as they relate to matters for which provision is made in this Act and are not inconsistent therewith, be deemed to have been made or, as the case may be, issued under this Act, as if this Act had been in force on the date on which such rules, orders, circulars etc. were made or, as the case may be, issued and

shall continue in force unless and until they are superseded by any rule made under this Act.

(3) Nothing in this Act shall be deemed to have affected any orders made by the Governor in exercise of his powers under the Fifth Schedule of the Constitution of India in respect of the Scheduled Areas.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Kaka kalelkar Commission in the year 1955 described the Gurjar (Gujar) community as cowherds and graziers, whereas Lokur Committee in the year 1965 has recommended special assistance to the Gurjar (Gujar) and Banjara communities as they require larger aid than provided to other Backward Classes while observing that it would not be sufficient to treat them as merely "Other Backward Classes".

Way back in 1981, the State Government, looking to the extreme backwardness of Banjaras and Gadia Lohars, had recommended to the Central Government to include them in the list of Scheduled Tribes. Similarly, in the year 2007 High Powered Committee headed by Justice (Retd.) Jasraj Chopra had recommended special dispensation/measures to the Gurjar (Gujar) community looking to their extreme social and educational backwardness. The Raikas (Rabari/Debasis) due to their nomadic life style, are also extremely backward both from social and educational point of view.

In pursuance of the directions issued by the Hon'ble Rajasthan High Court in Captain Gurvinder Singh etc. V/s State of Rajasthan (2011(1) ILR (Raj.) 693) the State Government reconstituted the Rajasthan State Backward Classes Commission and referred the issue of the reservation to the said Commission. The Commission submitted its report on 22nd November, 2012. The Commission, while considering the quantifiable data placed before it, the representations made to it, the various judgments of the Hon'ble Supreme Court, including the judgments in Indra Sawhney V/s Union of India (AIR 1993 SC 477), M. Nagaraj V/s Union of India (2006)8 SCC 212], Ashok Thakur V/s Union of India ((2008) 6 SCC 1), Surajbhan Meena V/s State of Rajasthan ((2011) 1 SCC 467), etc., various reports of different Commissions and Committees constituted for the study of the Backward Classes, including Kaka Kalelkar Commission, Lokur Committee, Mandal

Commission, etc., and various historical sources, *inter alia*, concluded that the Gadiya Lohar, Rebari/Debasi, Banjara, Gurjar and Gadariya castes/classes, having been wanderer/herdsman (nomadic) community and having been residing with animals at far flung areas like forests, low lying land of hills in search of fodder, have been cut off from the main stream of the society. Although the Government is running many welfare schemes like extension of education, providing medical facility, veterinary facility and many more, yet since they used to move from forests to forests, hilly areas to grazing land, with animals in search of fodder, they could not be benefitted by the schemes. Since they are living away from main society in forests and on grazing land with cattle for a long period, they remain unaffected from social upgradation. No change is seen in their livelihood, custom and tradition, superstition, values etc. While referring to paragraph 810 of the Indra Sawhney's case, the Commission further concluded that if special case is made out, reservation can be given in excess of 50% and these castes/classes, viz. Gadiya Lohar, Rebari, Banjara, Gurjar and Gadariya, fulfill all legal norms suggested in Indra Sawhney's case and in such peculiar circumstances, special case is made out in favour of these castes/ classes. Accordingly, the Commission recorded its recommendations in the following words: "After analyzing quantifiable data and considering other indexes, the Commission has come to the conclusion that for advancement of these five castes/classes, viz. Gadiya Lohar, Rebari, Banjara, Gurjar and Gadariya, special case is made out to give them status of Special Backward Classes."

After going through the above report of the Rajasthan State Backward Classes Commission, the State Government was satisfied that the report of the Commission was based on quantifiable data and strong evidences, which indicates not only that the above five Castes/Classes are extremely backward classes socially and educationally and whose representation in public services is highly inadequate in comparison to the other Backward

classes but also that they complied with all legal norms suggested in Indra Sawhney's case, which had made it imperative for the State to provide these Castes/ Classes five percent reservation in relaxation of general rule of 50% in terms of paragraph 810 of the Indra Sawhney' s case.

Accordingly, the State Government had issued orders to provide 5% reservation to the aforesaid Castes/Classes after the Commission's report. However, the State Government is of the opinion that this 5% reservation should also be given statutory status and recognition by enacting a separate legislation.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED
LEGISLATION**

Clause 3 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the educational institutions and courses in which reservation provided under that clause would be applicable and Clause 6 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of the Act.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

2015 का विधेयक सं.38

राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों
और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण)
विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

विशेष पिछड़े वर्गों की प्रगति और उत्थान के लिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

(वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री)

**THE RAJASTHAN SPECIAL BACKWARD CLASSES
(RESERVATION OF SEATS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS IN THE STATE AND OF APPOINTMENTS
AND POSTS IN SERVICES UNDER THE STATE) BILL, 2015**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to provide for the reservation of seats in educational institutions in the State and of appointments and posts in the services under the State in favour of the Special Backward Classes for their advancement, upliftment and for matters connected therewith or incidental thereto.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Special Secretary.

(Vasundhara Raje, **Minister-Incharge**)